रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229747
CG-DL-E-17092021-229747

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943
No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 638(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो [कनिष्ठ यांत्रिक इंजीनियर (सहायक परियोजना निदेशक)] भर्ती नियम, 1990; और भारतीय खान ब्यूरो (वैद्युत फोरमैन और यांत्रिक फोरमैन), भर्ती नियम, 1990, का अधिक्रांत करते हुए जहां तक उनका संबंध यांत्रिक फोरमैन के पद से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में कनिष्ठ मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल फोरमैन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, कनिष्ठ मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल फोरमैन (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5 .**निरर्हता.—**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद है या अचयन पद ।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ मैकेनिकल इंजीनियर ।	1(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –10 (56100-177500 रूपये) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

सीर्धी भर्ती के लिए आयु सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी अथवा नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकागठन क्या है ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (35400-112400 रूपये) में ऐसे मैकेनिकल फोरमैन जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर आठ वर्षों की सेवा पूरी की हों और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित खनिज परिष्करण संयंत्रों में उपकरणों की मैकेनिकल मरम्मत या रख-रखाव	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

या प्रतिष्ठापन या कमीशनिंग के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा कानूनी संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों के अधिकारी; (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रूपये) अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रूपये) में नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख)निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (i) आवश्यक अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अथवा समतुल्य से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री । (ii) अनुभव: खनिज परिष्करण संयंत्रों में अधिमानत: उपकरणों की मैकेनिकल मरम्मत या रख-रखाव या प्रतिष्ठापन या कमीशनिंग में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2. निदेशक, खान मंत्रालय - सदस्य; 3. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; 3. अवर सचिव, खान मंत्रालय - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मैकेनिकल फोरमैन ।	3(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, अराजपत्रित, समूह 'ख' ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –6 (35400-112400 रूपये)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500-81100 रूपये) में ऐसे मैकेनिकल सुपरवाइजर जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा पूरी की हो और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न मशीनरी के फैब्रिकेशन मरम्मत और रख-रखाव के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या तो निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की शैक्षिक अर्हता; या (ii) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान, कार्यशाला या प्रयोगशाला या प्रायोगिक संयंत्र में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक या मशीनरी जैसे तकनीकी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का प्रमाण पत्र होना चाहिए । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष तक, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; 3. ज्येष्ठ खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 22/2/2019-एम.III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines (Junior Mechanical Engineer (Assistant Project Director)] Recruitment Rules, 1990; and the Indian Bureau of Mines (Electrical Foreman and Mechanical Foreman) Recruitment Rules, 1990, in so far as it relates to the post of Mechanical Foreman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Mechanical Engineer and Mechanical Foreman in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1**. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Junior Mechanical Engineer and Mechanical Foreman (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification .—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Junior Mechanical Engineer.	1 (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group, 'A'.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection post.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion: Mechanical Foreman in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with eight years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completed four weeks of in-service training in the field of mechanical repairs or maintenance or installation or commissioning of equipments preferably in mineral processing plants conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100), and (b) possessing the educational qualifications and experience: (i) essential qualification: Bachelors Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or institution or equivalent. (ii) experience: Three years experience in mechanical repairs, maintenance, installation and commissioning of equipment preferably in mineral processing plants. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Director, Ministry of Mines-Member; 3. Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines -Member. Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines - Chairman; 2. Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines –Member; 3. Under Secretary, Ministry of Mines –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Mechanical	3(2021) *Subject to	General Central Service	Level-6 in the pay	Selection post.

Foreman.	variation dependent on workload.	Non Ministerial, Non-Gazetted, Group, 'B'.	matrix (Rs.35400-112400).	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Mechanical Supervisor in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and successfully completed four weeks in-service training in the field of fabrication repairs and maintenance of different machineries conducted by the Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute; and should possess either (i) educational qualification of Diploma in Mechanical Engineering from a recognised institution or University; or (ii) should have a National Council of Vocational Training certificate in technical trade such as Fitter, Turner, Machinist or Mechanic from a recognised institute with at least three years experience or machinery in an industrial concern, workshop or laboratory or pilot plant. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines - Chairman; 2. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines –Member; 3. Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines –Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines -Chairman; 2. Senior Assistant Controller of Mines, Indian Bureau of Mines –Member; 3. Administrative Officer, Indian Bureau of Mines –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 22/2/2019-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.17 22:10:47 +05'30'